न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 56 / 2020

1 हनुमान सिंह मृत
1/1 श्रीमती रामकंवर (नाम हजफ)
1/2 दिलीप सिंह पुत्र स्व. हनुमान सिंह
1/3 पृथ्वी सिंह पुत्र स्व. हनुमान सिंह
समस्त जाति बड़वा हाल निवासीगण ढाणी बडवान तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राज.।
1/4 सरोज कंवर पुत्री स्व. हनुमान सिंह पत्नी धारा सिंह जाति बडवा निवासी जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर राज.।
1/5 मनोज कंवर पुत्री स्व. हनुमान सिंह पत्नी सुल्तान सिंह जाति बडवा निवासी जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर राज.।
1/6 ममता कंवर पुत्री स्व. हनुमान सिंह पत्नी स्व. योगेन्द्र सिंह जाति बडवा निवासी बजरंग सिटी कॉलोनी बगरू जिला जयपुर राज.।
2 बलवन्त सिंह पुत्र छोग सिंह मृत
2/1 प्रेम कंवर पत्नी बलवन्त सिंह
2/2 सुनिता कंवर पुत्री बलवन्त सिंह
2/3 अनिता कंवर पुत्री बलवन्त सिंह
2/4 कविता कंवर पुत्री बलवन्त सिंह
2/5 प्रियंका कंवर पुत्री बलवन्त सिंह
3 रघुवीर सिंह पुत्री छोग सिंह
4 राजेन्द्र सिंह पुत्र छोग सिंह
समस्त जाति बडवा निवासीगण ग्राम श्यामपुरा तहसील धोद जिला सीकर हाल ढाणी बडवान तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

अपीलांट्स

बनाम

1 रिछपाल सिंह पुत्र चन्द्रा बडवा निवासी ग्राम श्यामपुरा (पश्चिम) तहसील धोद जिला सीकर राज.। मृत
1/1 सज्जन कंवर बेवाह रिछपाल सिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1/2 विरेन्द्र सिंह पुत्री रिछपाल सिंह
1/3 बहादुर सिंह पुत्र रिछपाल सिंह
समस्त जाति बडवा निवासी ग्राम श्यामपुरा (पश्चिम) तहसील धोद जिला सीकर राज.।
1/4 सरोज कंवर पुत्री स्व. रिछपाल सिंह पत्नी राकेश सिंह जाति बडवा निवासिनी सोनी मीणी के मकान के पास कच्ची बस्ती संजय नगर डीसीएम अजमेर रोड़ जयपुर राज.।
1/5 मैम कंवर (नाम हजफ)
1/6 निर्मल सिंह पुत्र स्व. नरेन्द्र सिंह
1/7 निखिल सिंह पुत्र स्व. नरेन्द्र सिंह
1/8 कोमल कंवर पुत्री स्व. नरेन्द्र सिंह
समस्त जाति बडवा निवासी ग्राम श्यामपुरा (पश्चिम) तहसील धोद जिला सीकर राज.।
2 जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व. बेरीसाल सिंह
3 नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. बेरीसाल सिंह
4 महावीर सिंह पुत्र स्व. बेरीसाल सिंह
समस्त जाति बडवा ग्राम नाथी का बास पोस्ट रेनवाल किशनगढ़ तहसील व जिला जयपुर राज.।
5 गुमान कंर पुत्री चन्द्रा पत्नी हरिसिंह जाति बडवा ग्राम नाथी का बास पोस्ट रेनवाल किशनगढ़ तहसील व जिला जयपुर राज.। मृतक
5/1 सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. गुमानकंवर पत्नी हरिसिंह
5/2 शैलेन्द्र सिंह पुत्र स्व. गुमानकंवर मृतक
5/2/1 गजोल कंवर स्त्री स्व शैलेन्द्र सिंह
5/2/2 पृथ्वी सिंह पुत्र स्व. शैलेन्द्र सिंह
5/2/3 निकिता पुत्री स्व. शैलेन्द्र सिंह
5/2/4 विनिता पुत्री स्व. शैलेन्द्र सिंह
5/2/5 अनिषा पुत्री स्व. शैलेन्द्र सिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका मता गजोल कंवर पत्नी स्व. शैलेन्द्र सिंह
समस्त जाति बडवा ग्राम नाथी का बास पोस्ट रेनवाल किशनगढ़ तहसील व जिला जयपुर राज.।
5/3 सुमेर सिंह पुत्र स्व. गुमान कंवर
समस्त जाति बडवा ग्राम नाथी का बास पोस्ट रेनवाल किशनगढ़ तहसील व जिला जयपुर राज.।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

5/4 संगीता पत्नी जितेन्द्र सिंह जाति बडवा निवासिनी दादिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
6 विक्रम सिंह पुत्र स्व. रणजीत सिंह
7 कुलदीप सिंह पुत्र स्व. रणजीत सिंह
8 नवदीप सिंह पुत्र स्व. रणजीत सिंह
पुत्रगण स्व. रणजीत जाति बडवा निवासी श्यामपुरा पश्चिम वाया फागलवा तहसील धोद जिला सीकर।
9 श्रीमती सुमन कंवर पत्नी रविशंकर पुत्री स्व. रणजीत सिंह जाति बडवा निवासी ग्राम बरणा वाया किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज.।
10 राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह
11 प्रहलाद सिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह
12 जगदीश सिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह
13 सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह
14 अशोक सिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह
निवासी श्यामपुरा (पश्चिम) तहसील धोद जिला सीकर राज.।
15 श्रीमती हंगाम कंवर पत्नी स्व. भंवरसिंह जाति बडवा निवासी श्यामपुरा (पश्चिम) तहसील धोद जिला सीकर राज.।
16 शैतान सिंह पुत्र लाला मृत
16/1 महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. शैतान सिंह
16/2 पप्पू सिंह पुत्र स्व. शैतान सिंह
समस्त जाति बडवा निवासी श्यामपुरा (पश्चिम) तहसील धोद जिला सीकर राज.।
16/3 सन्तरा कंवर पुत्री स्व. शैतान सिंह पत्नी बाबूसिंह जाति बडवा निवासी लिसाडिया तहसील फागी जिला जयपुर।
16/4 सीता कंवर पुत्री स्व. शैतान सिंह पत्नी राजपाल सिंह जाति बडवा निवासी आसलपुर तहसील सांभर जिला जयपुर।
16/5 सीमा कंवर पुत्री स्व. शैतान सिंह पत्नी अरविन्द सिंह जाति बडवा निवासी बिचून तहसील दूदू जिला जयपुर।
17 हनुमान सिंह पुत्र लाला जाति बडवा निवासी श्यामपुरा (पश्चिम) तहसील धोद जिला सीकर राज.।
18 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जी नवसृजित तहसील धोद जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादीगण

19 कमला पुत्री छोगा उर्फ छोग सिंह पत्नी झाबर सिंह जाति बड़वा निवासी आसलपुर तहसील सांभरलेक जिला जयपुर।
20 बिमला पुत्री छोगा उर्फ छोग सिंह पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति बडवा निवासी आसलपुर तहसील सांभरलेक जिला जयपुर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस/वादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर दिनांक 26.02.2020 दावा अनुवानी छोगा बनाम चन्द्रा आदि दावा संख्या 10/2008 अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :
1. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 9/12/25

यह अपील विचारण सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 10/2008 में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद उद्घोषणा, बंटवारा, हुक्म इम्तनाई व दुरूस्ती इन्द्राज बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराने 17 जिसके नये खसरा नम्बर 33, पुराने 147 के नये खसरा नम्बर 202 वाके ग्राम श्यामपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी अबैटमेंट के आधार पर खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को जिनकी ओर से वे अधिवक्ता थे अपने पक्षकार की मृत्यु होने पर उसकी सूचना विचारण न्यायालय के समक्ष दिया जाना आवश्यक था तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा ऐसी मृत्यु की सूचना दूसरे पक्षकार को दी जानी चाहिए थी जिस पक्षकारान की मृत्यु हो चुकी है उनके अधिवक्तागण ने यह भी विचारण न्यायालय के समक्ष सूचित नहीं किया कि मृतक पक्षकारों के विधिक उत्तराधिकारी कौन–कौन है। प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण द्वारा आदेश 22 नियम 10 क के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण/अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद जिस प्रकृति का है उपरोक्त प्रकृति के वाद में कई प्रतिवादियों में से किसी एक प्रतिवादी या कई प्रतिवादियों की मृत्यु हो जाती है तो भी शेष बचे हुये प्रतिवादियों के विरूद्ध वाद वादीगण चालु रहने योग्य होते हुये उक्त वाद को अबैट नहीं किया जा सकता। इस कारण प्रश्नगत वाद भी मृतक प्रतिवादी सायर कंवर व रणजीत सिंह की मृत्यु होने पर भी अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी रहेगा तथा सम्पूर्ण वाद खारिज नहीं होगा। इस कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 22 नियम 4 सपठित नियम 9 तथा धारा 151 सीपीसी स्वीकार करने में कोई कानूनी बाधा नहीं थी। साथ ही धारा 22(1) सीपीसी में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि वाद लाने का अधिकार बचा रहता है तो वादी या प्रतिवादी की मृत्यु से वाद का उपशमन नहीं होता। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण/अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत किये गये मूलवाद में गंभीर कानूनी बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना शेष है इसलिए प्रकरण का निर्णय मेरिटस पर होना न्यायोचित है। प्रकरण के तथ्यों व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कानूनी स्थिति को देखते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दावा अबैट को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 22 नियम 4 सपठित नियम 9 व धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी मृतका सायर कंवर व मृतक रणजीतसिंह के विधिक उत्तराधिकारियों को उनके कायम मुकाम के रूप में पक्षकार संयाजित किया जाकर प्रकरण को मेरिटस पर निर्णय पारित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। विचारण न्यायालय का विचाराधीन निर्णय दिनांकित 26.02.2020 का है जिसके विरूद्ध अपील अपीलान्ट नियमानुसार 60 दिवस में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था किन्तु उक्त समयावधि में विश्वव्यापी कोरोना महामारी (कोविड–19) के कारण दिनांक 25 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक देशव्यापी लोक डाउन होने से तथा 1 जून 2020 से 30 जून 2020 तक कन्टेनमेंट जोनस में लोक डाउन होने के कारण देश/राज्य व जिले में जो स्थितियां थी इस कारण अपीलान्टस द्वारा नियत समयावधि में आकर अपने अधिवक्ता से मिलकर अपील तैयार करवाकर, अपील प्रस्तुत करना संभव नही था इस कारण निर्धारित समयावधि में अपीलान्टस द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी तथा कन्टेनमेंट जोनस को छोड़कर शेष स्थानों पर 31 मई 2020 को लोक डाउन समाप्त होने पर तथा अपीलान्टस को यातायात की सुविध होने पर अपीलान्टस ने अपने अधिवक्ता से मिलकर अपील तैयार करवाई ओर अब अविलम्ब अपील अपीलान्ट द्वारा पेश की जा रही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 1985 एससी पेज 606, एआईआर 2015 राज पेज 198 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1/4 सायरकंवर का नाम हजफ का आवेदन दिनांक 03.06.2014 को पेश कर दिया गया था। पत्रावली पर प्रतिवादी संख्या 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु की कोई सूचना अंकित नहीं है। चुंकि प्रतिवादी संख्या 1/4 का आवेदन नाम हजफ का पूर्व में पेश किया गया था अब वारिसान के साथ पेश किया गया है। जवाब आवेदन में वादी ने कहीं भी यह अंकित नही किया है कि कायम मुकाम आवेदन समयावधि में क्यों पेश नहीं किये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

गये। केवल मात्र जिम्मेदारी प्रतिवादी की बताई। जबकि अपने वाद को प्रमाणित करने का भार स्वयं वादी पर होता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि जो पक्षकार स्वयं जागरूक व सजग नहीं है उसकी मदद कानून से बाहर जाकर न्यायालय भी नहीं कर सकता है। पूर्व में भी प्रतिवादी संख्या 1/3 के खिलाफ दावा अबैट हो चुका है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी अबैटमेंट के आधार पर खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपील मियाद एवं गुणावगुण पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित एवं कोराना काल की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को जिनकी ओर से वे अधिवक्ता थे अपने पक्षकार की मृत्यु होने पर उसकी सूचना विचारण न्यायालय के समक्ष दिया जाना आवश्यक था तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा ऐसी मृत्यु की सूचना दूसरे पक्षकार को दी जानी चाहिए थी जिस पक्षकारान की मृत्यु हो चुकी है उनके अधिवक्तागण ने यह भी विचारण न्यायालय के समक्ष सूचित नहीं किया कि मृतक पक्षकारों के विधिक उत्तराधिकारी कौन–कौन है।

प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण द्वारा आदेश 22 नियम 10 क के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण/अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद जिस प्रकृति का है उपरोक्त प्रकृति के वाद में कई प्रतिवादियों में से किसी एक प्रतिवादी या कई प्रतिवादियों की मृत्यु हो जाती है तो भी शेष बचे हुये प्रतिवादियों के विरूद्ध वाद वादीगण चालु रहने योग्य होते हुये उक्त वाद को अबैट नहीं किया जा सकता। इस कारण प्रश्नगत वाद भी मृतक प्रतिवादी सायर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कंवर व रणजीत सिंह की मृत्यु होने पर भी अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी रहेगा तथा सम्पूर्ण वाद खारिज नहीं होता है।

ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 22 नियम 4 सपठित नियम 9 तथा धारा 151 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य था। साथ ही धारा 22(1) सीपीसी में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि वाद लाने का अधिकार बचा रहता है तो वादी या प्रतिवादी की मृत्यु से वाद का उपशमन नहीं होता। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण/अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत किये गये मूलवाद में गंभीर कानूनी बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना शेष है इसलिए प्रकरण का निर्णय मेरिटस पर होना न्यायोचित है। विचारण न्यायालय ने गुणावगुण पर निस्तारण के स्थान पर तकनिकी आधार पर वाद खारिज कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मृत पक्षकारों के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर विधिक प्रक्रिया की पालना कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.12.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 9/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर